>

Title: Need to exclude the State Maritime Board from the purview of Income Tax Act, 1961.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): सभापति महोदय, गुजरात में 1600 किलोमीटर की समुद्री सीमा है और 42 बंदरगाह हैं, जो गुजरात के औद्योगिक विकास और देश के कई वस्तुओं के आयात-निर्यात के लिए बहुत सहायक है। भारत के संविधान के मुताबिक छोटे बंदरगाहों का संचालन राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है। राज्य सरकार ने उनके विकास हेतु मेरी टाइम बोर्ड एक्ट 1981 के अंतर्गत गुजरात मेरी टाइम बोर्ड की स्थापना की थी। मार्च, 2002 तक इंकम टैक्स कानून धारा 10(20) के अंतर्गत मेरी टाइम बोर्ड को लोकल ऑथोरिटी माना जाता था, जिससे बोर्ड को कर मुक्ति थी, किन्तु अधिनियम 2003 में मेरी टाइम बोर्ड को लोकल ऑथोरिटी से दूर किया गया, जिससे बोर्ड को आयकर भरना पड़ता है।

सभापति महोदय, गुजरात मेरी टाइम बोर्ड एक सार्वजनिक उपयोगिता की सेवा तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित नोन प्रोफिट मेकिंग संस्था है। इस बोझ को कम करने के इरादे से गुजरात मेरी टाइम बोर्ड इंकम टैक्स एक्ट 1961 धारा 12 ए.ए. के अंतर्गत उपरोक्त बोर्ड इंकम टैक्स के तहत कराया गया था, फिर भी इंकम टैक्स एक्ट 1961 में सैक्शन 2(15) से चेरीटेबल ऑर्गेनाइजेशन की व्याख्या में सुधार के परिणाम स्वरूप बोर्ड जैसी संस्थाओं को चेरीटेबल संस्था के अनुसार मिलने वाले लाभ बंद हुए। वर्ष 2008-09 से गुजरात मेरी टाइम बोर्ड को सामान्य संस्था के जैसे टैक्स देना पड़ रहा है। गुजरात सरकार ने वित्त मंत्री जी एवं प्रधान मंत्री जी को पत्राचार द्वारा स्टेट मेरी टाइम बोर्ड को कर मुक्ति दिलाने एवं इंकम टैक्स एक्ट 1961, धारा 2(15) में किए गए परिवर्तन निरस्त करने की विनती की है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूं कि उपरोक्त माममले में पुर्नविचार करें तथा स्टेट मेरी टाइम बोर्ड को इंकम टैक्स एक्ट 1961 के चुंगल से मुक्त करें। धन्यवाद।

सभापति महोदय:

श्री शिवकुमार उदासी और

*m03

श्री देवजी एम. पटेल अपने आपको श्रीमती जयश्रीबेन पटेल के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।